पटना में दिनांक–08 मार्च, 2019 शुक्रवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	सामान्य प्रशासन विभाग		
1.	बिहार सरकार के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवा मामलों तथा सेवान्त लाभ भुगतान से संबंधित शिकायत निवारण नियमावली बनाने के संबंध में।	1.	**स्वीकृत।**
	सामान्य प्रशासन विभाग		
2.	श्री राजेश कुमार बि०प्र०से० को० क्र०–473/11, तत्कालीन उप सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना (सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग) को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड की स्वीकृति के संबंध में।	2.	**स्वीकृत।**
	उद्योग विभाग		
3.	बिहार उद्योग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019 की स्वीकृति के संबंध में।	3.	**स्वीकृत।**
	गृह विभाग (आरक्षी शाखा)		
4.	बेगूसराय जिला के भगवानपुर थानान्तर्गत तियाय ओ०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल–21 (इक्कीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	4.	**स्वीकृत।**
	ऊर्जा विभाग		
5.	दोनों वितरण कंपनियों यथा–नार्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के क्षेत्राधीन पूर्व से स्थापित वितरण प्रणाली 33 के०भी०, 11 के०भी०, निम्न विभव लाईन के जीर्णोद्धार एवं नवीकरण हेतु कुल स्वीकृत 3070.22 करोड़ (तीन हजार सत्तर करोड़ बाईस लाख) रूपये की योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) की सेवा प्राप्त करने हेतु जी०एस०टी० सहित कुल 70.80 करोड़ (सत्तर करोड़ अस्सी लाख) रूपये की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	5.	**स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

6. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में प्राचार्य के रिक्त पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित दस अभ्यर्थियों यथा (i) डॉ॰ राम नरेश राय (ii) डॉ॰ राजेश कुमार रंजन (iii) डॉ ठाकुर संजय कुमार (iv) डॉ॰ अनिल कुमार सिंह (v) डॉ॰ विलेश कुमार (vi) डॉ॰ सुशील कुमार (vii) डॉ॰ अंजनी कुमार मिश्रा (viii) डॉ॰ विकास प्रसाद (ix) डॉ॰ नित्यानन्द प्रसाद (x) डॉ॰ कमलेश कुमार सिंह को वेतनमान (PB-4+10000+ विशेष वेतन रू० 2000 अपुनरीक्षित) में औपबंधिक रूप से नियुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

6. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7. खगड़िया जिलान्तर्गत अंचल–गोगरी के मौजा–देवठा, थाना नं०–345, तौजी नं०–7320, खाता सं०–233, खेसरा सं०–580, 630 में क्रमशः रकबा–6.61, 0.60 एकड़ एवं खाता सं०–232, खेसरा सं०–341, रकबा–1.31 एकड़, कुल रकबा–8.52 एकड़ भूमि किस्म गैरमजरूआ आम सड़क, अभियंत्रण महाविद्यालय, खगड़िया की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय भूमि हस्तान्तरण के संबंध में।

7. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

8. भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत अनुमानित लागत कुल रू० 242.6337 करोड़ (दो सौ बयालीस करोड़ तिरेसठ लाख सैंतीस हजार रू० मात्र) पर छपरा शहर में Interception & Diversion एवं STP परियोजना के निर्माण हेतु, जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि रू० 236.15 करोड़ (दो सौ छत्तीस करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान हेतु सेंटेज की राशि कुल रूपये 6.4814 करोड़ (छः करोड़ अड़तालिस लाख चौदह हजार रू० मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।

8. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत अनुमानित लागत कुल रू० 35.49 करोड़ (पैंतीस करोड़ उनचास लाख) के व्यय पर फतुहा शहर में Interception & Diversion एवं STP परियोजना के निर्माण हेतु, जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि रू० 35.49 करोड़ पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के भुगतान हेतु सेंटेज की राशि रू० 1.9424 (एक करोड़ चौरानवें लाख चौबीस हजार रू० मात्र) करोड़ को सम्मिलित करते हुए कुल रू० 37.4325 करोड़ (सैंतीस करोड़ तेतालीस लाख पचीस हजार रू० मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति। — 9. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

10. भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत 100% अनुमानित लागत कुल रू० 43.5681 करोड़ (तेतालीस करोड़ छप्पन लाख इक्यासी हजार रू० मात्र) के व्यय पर मनेर शहर में Interception & Diversion एवं STP परियोजना के निर्माण हेतु जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 41.36 करोड़ रूपये (एकतालीस करोड़ छतीस लाख रू० मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेन्सी को भुगतान हेतु सेंटेज की राशि कुल 2.2081 करोड़ रू० (दो करोड़ बीस लाख इक्यासी हजार रू० मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति। — 10. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

11. भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत 100% अनुमानित लागत कुल रू० 37.805 करोड़ रूपये (सैंतीस करोड़ अस्सी लाख पचास हजार रू० मात्र) के व्यय पर बख्तियारपुर शहर में Interception & Diversion एवं STP परियोजना के निर्माण हेतु जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 35.88 करोड़ रूपये (पैंतीस करोड़ अठासी लाख रू० मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेन्सी को भुगतान हेतु सेंटेज की राशि कुल 1.925 करोड़ रू० (एक करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रू० मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति। — 11. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

12.	भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत अनुमानित लागत कुल रू० 32.6077 करोड़ (बत्तीस करोड़ साठ लाख सतहत्तर हजार मात्र) पर सोनपुर शहर में Interception & Diversion एवं STP परियोजना के निर्माण हेतु, जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि रू० 30.93 करोड़ (तीस करोड़ तिरानबे लाख मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान हेतु सेंटेज की राशि कुल रू० 1.6777 करोड़ (एक करोड़ सड़सठ लाख सतहत्तर हजार मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।	12.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13.	नालन्दा जिलान्तर्गत सिलाव अंचल के मौजा–फतेहपुर, थाना सं०–422, खाता सं०–178, खेसरा सं०–661 में कुल रकबा–0.1422 एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्म परती कदीम भूमि, राष्ट्रीय उच्च पथ सं०–82 (गया–हिसुआ–राजगीर–बिहारशरीफ) के फोरलेन निर्माण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में।	13.	स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

14.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में दिनांक–01.04.1999 के पूर्व से नियमित वेतनमान में नियुक्त सम्प्रति कार्यरत अवशेष तैतीस (33) कर्मियों, जो माननीय उच्च न्यायालय के किसी विशिष्ट आदेश से आच्छादित नहीं है की सेवा समाहरणालय के अन्तर्गत रिक्त पदों पर सरकारी सेवक के रूप में समायोजित किये जाने के संबंध में।	14.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

16.	दिनांक–01.09.2005 या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों (नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मी) के सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी अथवा अन्य हिंसक गतिविधियों में मारे जाने पर उनकी विधवा/आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा दिये जाने के संबंध में।	16.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

17. लोक सभा/विधान सभा आम/उप निर्वाचन के दौरान निर्वाचन कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से घायल या बीमार होने की अवस्था में उनके चिकित्सा व्यय के वहन के संबंध में। — 17. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

18. बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य को अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के समरूप वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जाँच सुविधा एवं इसकी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति। — 18. **स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

19. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना में अभियंत्रण संवर्ग के स्वीकृत पदों यथा उप महाप्रबंधक (कार्यपालक अभियंता स्तरीय पद), महाप्रबंधक (अधीक्षण अभियंता स्तरीय पद) एवं मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य अभियंता स्तरीय पद) को भवन निर्माण विभगा के अभियंत्रण संवर्ग के स्वीकृत पदों के साथ जोड़ते हुए इन पदों पर विभाग द्वारा प्रोन्नति देकर पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में। — 19. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

20. शेखपुरा जिलान्तर्गत अंचल–शेखपुरा के मौजा–बाजितपुर, थाना नं०–166, खाता सं०–105, खेसरा सं०–1013, में कुल रकबा–9.94 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि किस्म–पहाड़, अभियंत्रण महाविद्यालय, शेखपुरा की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय भूमि हस्तान्तरण के संबंध में। — 20. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

21. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर एवं इसके अंगीभूत महाविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के कार्यरत शिक्षक/वैज्ञानिक के लिए दिनांक–01 जनवरी, 2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान की औपबंधिक रूप से स्वीकृति के संबंध में। — 21. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

22.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर एवं इसके अंगीभूत संस्थानों के गैर शैक्षणिक कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों की भांति दिनांक 01 जनवरी 2016 के प्रभाव से वैचारिक रूप से तथा दिनांक–01.04. 2017 से वित्तीय लाभ के साथ पुनरीक्षित वेतन स्तर की औपबंधिक स्वीकृति के संबंध में।	22.	स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

23.	वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 'मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना'' अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई सब्सिडी की राशि के लिए कुल 5193.00 करोड़ (पाँच हजार एक सौ तीरानवे करोड़) रूपये सब्सिडी स्वीकृत करते हुए वित्तीय वर्ष 2019–20 के अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की अवधि के लिये 432.75 करोड़ (चार सौ बत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये प्रतिमाह की दर से कुल 5193.00 करोड़ (पाँच हजार एक सौ तिरानवे करोड़) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी० को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	23.	स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

24.	राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीन सभी अंगीभूत संस्थानों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को क्रमशः I.C.A.R एवं राज्य कर्मियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतन स्तर लागू करने की औपबंधिक स्वीकृति के संबंध में।	24.	स्वीकृत।